(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 01/2021

बउनवान

श्री कुंजबिहारी सिंह पिता डॉ. सत्यनारायण सिंह निवासी विद्यापीठ का चौराहा, गांधी मार्ग, वृन्दावन(मथुरा) 281121 उत्तरप्रदेश

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार अन्ता, जिला बारां (राज.)

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा, 19 (3)

निर्णय दिनांक 03.03.2021

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.12.2020 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार अन्ता को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत मय पोस्टल आर्डर राशि 10/– रूपये के आवेदन पत्र के साथ डाक द्वारा प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा समयसीमा में अधूरी सूचना दी गई। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (3) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार अन्ता के पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी से आवेदन पत्र में निम्नानुसार सूचना चाही गई थी कि :–

1. ग्राम का नाम– नागदा, पटवार हल्का–ठीकरिया, भू.अधि.नि क्षेत्र–अन्ता में खाता सं. नया 52 एवं पुराना खाता सं. 47 में नामा. 1401 नि. दिनांक 09.12.2015/ बेचान से ख.नं. 1369/1.17 व 1362/1.13 कुल किता 2 रकबा 2.30 है, में कैलाशचन्द के सम्पूर्ण हि. 1/4 पर क्रेता हुसैन पुत्र अली हुसैन जाति दाउदी बोहरा निवासी अन्ता का नाम दर्ज हुआ। नाम दर्ज करने के सम्पूर्ण दस्तावेजों की सत्य प्रमाणित प्रति प्रदान करें।
2. ग्राम का नाम– नागदा, पटवार हल्का–ठीकरिया, भू.अधि.नि क्षेत्र–अन्ता में खाता सं. नया 52 एवं पुराना खाता सं. 47 में नामा.सं. 1[illegible] दिनांक 05.03.2016/ बैचान से ख.नं. 844/0.18, 845/0.18, 900/0.05 [illegible] किता 3 रकबा 0.41 है, में कैलाशचन्द के सम्पूर्ण हि. 1/4 पर क्रेता कजोडीलाल पुत्र [illegible] जाति काछी सा. नागदा झोपड़िया का नाम दर्ज हुआ। नाम दर्ज करने के सम्पूर्ण दस्तावेजों की सत्य प्रमाणित प्रति प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 16:22:55 IST
Reason: Self Attested

3. ग्राम का नाम– नागदा, पटवार हल्का–ठीकरिया, भू.अधि.नि क्षेत्र–अन्ता में खाता सं. नया 52 एवं पुराना खाता सं. 47 में जमाबन्दी (खेवट/खतौनी) में क्या–क्या परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन करने के सम्पूर्ण दस्तावेजों की सत्य प्रमाणित प्रति प्रदान करें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 02.02.2021 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अन्ता को जर्ये सम्मन क्रमांक 175–176 दिनांक 03.02.2021 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की प्रति भिजवायी जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जर्ये सम्मन क्रमांक 175–176 दि. 03.02.2021 से तलब किया गया।

अपीलार्थी इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार अन्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का जवाब पत्रांक/भू.अ./2021/653 दि. 18.02.2021 से इस कार्यालय में भिजवाया जाकर निवेदन किया कि अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक/एल.आर./2020/56 दिनांक 06.01.2021 से बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार उपलब्ध करवाई गईः–

1. ग्राम नागदा में खाता सं0 52 में नामा. सं0 1401 निर्णय दिनांक 09.12.2015 बैचान से ख. नं. 1361/1.17 व 1362/1.13 किता 2 रकबा–2.30 है, में कैलाशचन्द के सम्पूर्ण हि. 1/4 पर क्रेता हुसैन पुत्र अली हुसैन जाति दाउदी बोहरा निवासी अन्ता का नाम दर्ज हुआ जिसकी सूचना के अधिकार के तहत प्रमाणित छायाप्रति आप द्वारा चाही गई है।
2. ग्राम नागदा में खाता सं. 52 में. नामा. सं. 1423 निर्णय दिनांक 05.03.2016 बैचान से ख. नं. 844/0.18, 845/0.18, 900/0.05 किता 3 रकबा–0.41 है, में कैलाशचन्द के सम्पूर्ण हि. 1/4 पर क्रेता कजोडीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति काछी सा. नागदा झोपडिया का नाम दर्ज हुआ जिसकी सूचना के अधिकार क तहत प्रमाणित छायाप्रति आप द्वारा चाही गई है।
3. ग्राम नागदा में खाता सं. 52 मे. जमाबन्दी में क्या–क्या परिवर्तन करने के सम्पूर्ण दस्तावेज की प्रमाणित प्रति चाही गई है। चूंकि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रमाणित प्रतियां दिये जाने का प्रावधान नहीं होने से मात्र वांछित दस्तावेज की सूचना/छायाप्रतियां संलग्न प्रेषित है। यदि प्रमाणित प्रतियां अपेक्षित हो तो नियमानुसार नकल हेतु आवेदन करे।

प्रकरण में प्रस्तुत अपील का जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :–

1. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र इस कार्यालय के दिनांक 23.12.2020 को प्राप्त हुआ जिसके अनुसार ग्राम नागदा के नामा. से 1401 दिनांक 09.12.2015 व नामा. सं. 1423 दिनांक 05.03.2016 बेचान पर दर्ज किए [illegible] आधार रेकार्ड की सत्य प्रमाणित प्रति चाही गई। जिसकी पालना [illegible] के [illegible] एल.आर/2020/56 दिनांक 06.01.2021 से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 [illegible] अनुसार सूचना (जमाबंदी एवं विक्रय पत्रों को छायाप्रतियां) भिजवाई गई जो प्रार्थी को [illegible] हो गई जिसकी पुष्टि प्रार्थी की अपील से होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 16:22:55 IST
Reason: Self Attested

2. अपील चरण 2 अस्वीकार है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.12.2020 को कार्यालय में प्राप्त होने पर दिनांक 06.01.2021 को मात्र 15 दिवस में हो सूचना प्रेषित कर दी गई जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में सूचना प्रेषण हेतु 30 दिवस नियत है।
3. अपील चरण 3 में कौनसी सूचना नहीं दी गई, का विवरण स्पष्ट नहीं होने से अस्वीकार है।
4. अपील चरण सं. 4 में उल्लेखित कारण 30 दिवस में सूचना मिल जाने का प्रावधान नहीं है बल्कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 अनुसार 30 दिवस में सूचना कार्यालय से जारी होने का प्रावधान है।
5. अपील चरण सं. 5 अस्वीकार है।

प्रस्तुत अपील के जवाब में सादर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सत्य प्रमाणित प्रतियां चाही गई है, जबकि उक्त प्रावधान अनुसार सूचना में दस्तावेज प्रतियां भेजने का प्रावधान होने से भेजी गयी है कि साथ ही यह भी सूचित किया गया है कि यदि आपको प्रमाणित सत्यप्रतियों की आवश्यकता है तो नियमानुसार नकल आवेदन मय राजकीय शुल्क जमा कर प्राप्त करे।

मेरे द्वारा अपीलार्थी की प्रस्तुत प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 का आद्योपान्त अवलोकन किया जाकर, मनन/विश्लेषण किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 21.12.2020 से चाही गई सूचना, जो लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार अन्ता को दिनांक 23.12.2020 को प्राप्त हुआ। उक्त प्रार्थना–पत्र से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक/भू.अ./2021/653 दिनांक 18.02.2021 से नियत समयावधि अन्दर 01 माह में उपलब्ध करवा दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19 (3) सारहीन होने से खारिज की जाती है।इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपी अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार अन्ता को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जावे।

निर्णय आज मेरे द्वारा दिनांक 03.03.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 15:22:55 IST
Reason: SelfAttested

मोहम्मद अबूबक्र)
अ जिला कलक्टर, बारॉ